



गन्यापधुरा गाउँपालिका

स्थानीय राजपत्र

गन्यापधुरा गाउँपालिकाद्वारा प्रकाशित

खण्ड:७) गन्यापधुरा, डडेलधुरा, असार २२ गते शुक्रबार, २०८० साल (संख्या:८

भाग - १

गन्यापधुरा गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि कर तथा राजश्व संकलन गर्नका लागि तयार पारिएको यो ऐन सर्वसाधारणका लागि प्रकाशन भएको सूचना गरिन्छ ।

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०

गाउँ सभाबाट स्वीकृत मिति: २०८०/०३/१२

प्रस्तावना: गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयनको लागि स्थानीय कर, कर शुल्क, दस्तुर र जरिवाना सङ्कलन गर्न, छुट दिन तथा अन्य आय सङ्कलनको प्रशासनीक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २३० बमोजिम गन्यापधुरा गाउँपालिकाको गाउँ सभाले यो ऐन जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “गन्यापधुरा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०८०” रहेको छ ।

(२) यो ऐन स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुनेछ ।

२. सम्पत्ति कर : गन्यापधुरा गाउँपालिकाको क्षेत्रभित्र अनुसूचि-१ बमोजिम गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका घर र जग्गामा सम्पत्ति कर लगाई असुल उपर गरिने छ ।

३. भूमिकर (मालपोत): गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लाग्ने भूमि बाहेकमा अनुसूची-२ बमोजिम भूमिकर (मालपोत) लगाई असुल उपर गरिने छ ।

४. **बहाल कर** : गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ती वा संस्थाले भवन, घर, पसल, वर्कसप, ग्यारेज, टहरा, सेड, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आशिक तवरले बहालमा लगाई हुने आम्दानी र आम्दानी हुने गरी अन्य कुनै सम्पत्ति बहालमा दिएकोमा अनुसूची-३ बमोजिम बहाल कर लगाई असुलउपर गरिने छ ।

५. **व्यवसाय कर** : गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता वा इजाजत प्राप्त गरी स्थापित उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा र यस्तै प्रकारका जुनसुकै कारोबार गर्ने व्यक्ती, संघसंस्था वा निकायलाई व्यावसायिक प्रकृति, आर्थिक कारोबार, स्थान विशेष र लगानीका आधारमा अनुसूची-४ बमोजिम व्यवसाय कर लगाई असुलउपर गरिने छ ।

६. **जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर** : गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ती वा संस्थाले ऊन, खोटो, जडीबुटी, कवाडी माल र अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको हाड, सिङ, प्वाख, छाला जस्ता वस्तुको व्यावसायिक कारोबार गरे वापत अनुसूची-५ बमोजिमको कर लगाई असुल उपर गरिने छ ।

७. **प्राकृतिक स्रोत साधन विक्री**: गन्यापधुरा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका उपलब्ध हुने प्राकृतिक स्रोतहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, चुनढुङ्गा, दहत्तर, बहत्तर आदिमा अनुसूची-६ बमोजिम न्यूनतम दर कायम गरी विक्री गरिनेछ।

८. **सवारी साधन कर**: प्रदेश सरकारले तोकेबमोजिम बाँडफाँडबाट गाउँपालिकालाई प्राप्त हुने सवारी साधन करको आम्दानी बाँधिने छ । तर गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधन (अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सा) मा अनुसूची -७ बमोजिम सवारी साधन कर लगाई असुलउपर गरिने छ ।

९. **विज्ञापन कर**: गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूची-८ बमोजिमको दरमा विज्ञापन कर लगाई असुलउपर गरिने छ ।

१०. **मनोरञ्जन कर**: गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने र शुल्क लिई सञ्चालन गरिने जुनसुकै प्रकारको मनोरञ्जन व्यवसायमा अनुसूची-९ बमोजिम हुने र प्रदेशले तोकेको कर सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने ।

११. **बहाल बिटौरी शुल्क**: गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण, रेखदेख वा सञ्चालन गरेका वा सार्वजनिक ऐलानी पर्ती जग्गा वा भवनमा हाटबजार वा पसल वा विशेष मेला पर्वमा अनुसूची-१० मा भएको व्यवस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क लगाई असुलउपर गरिने छ ।

१२. **सवारी साधन पार्किङ शुल्क**: गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत अनुसूची-११ बमोजिम सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुलउपर गरिने छ ।

१३. **सेवा शुल्क दस्तुर**: गन्यापधुरा गाउँपालिकाले निर्माण, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसूची-१२ मा उल्लिखित स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराईएको सेवामा सेवा ग्राहीबाट सोही अनुसूचीमा व्यवस्था भएबमोजिम शुल्क लगाई असुलउपर गरिने छ ।

१४. **पर्यटन शुल्क**: गन्यापधुरा गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उद्यान, पार्क, चिडियाखाना, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक उपयोगको प्रवेश शुल्क अनुसूची-१३ मा उल्लेखित दरमा लगाई असुलउपर गरिने छ ।

१५. **भाडादर:** गाउँपालिकाको डोजर, ट्र्याक्टर र गाउँपालिकामा रहेको एम्बुलेन्सबाट गाउँपालिकाले अनुसूची-१४ बमोजिमको दरमा लगाईने र असुलउपर गरिने छ ।
१६. गाउँपालिकाले गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक वनहरूले आफ्नो एक आर्थिक वर्षको कूल वार्षिक आमदानी गरेको रकमको १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरिने छ ।
१७. **घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क :** गन्यापधुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका घरजग्गा वा अन्य सम्पत्तिहरूको रजिष्ट्रेशन पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने छ ।
१८. **विभाज्य कोष सम्बन्धी व्यवस्था:** गाउँपालिकाले प्रचलित कानून बमोजिम सङ्कलन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्ने प्रकृतिका राजस्वहरू यस कोषमा जम्मा गरी तोकिएबमोजिम बाँडफाँड गरिने छ ।
१९. **कर तथा शुल्क सङ्कलन कार्यविधि:** यस ऐनमा भएको व्यवस्था यसैबमोजिम र अन्यका हकमा यस ऐन सँग नबाझिनेगरी कर तथा शुल्क सङ्कलन सम्बन्धमा गन्यापधुरा गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाले तोकिएबमोजिम हुने छ ।
२०. **यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने :** यो ऐन जारी हुनुअघि भए/गरेका व्यवस्थाहरू यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिने छ ।
२१. **नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने :** गन्यापधुरा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने छ ।
२२. **साबिक बमोजिम हुने :** यस ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था यसै बमोजिम र उल्लेखित नभएको हकमा साबिक बमोजिम नै हुनेछ ।
२३. **बाधा अड्काउ फुकाउ :** यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा कुनै बाधा आइपरेमा गन्यापधुरा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकालाई बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार रहनेछ ।
२४. **खारेजी :** साबिकमा गन्यापधुरा गाउँपालिकाले लागु गर्दै आएका व्यवस्थाहरू यस ऐन सँग प्रतिकूल देखिएको हदसम्म खारेज हुने छन् ।

अनुसूची -१

(ऐनको दफा २ सँग सम्बन्धित)

१. सम्पत्ति करको दर

| क्र.स | विवरण | चालु आ.व २०७९/०८० को दर रु | प्रस्तावित कर रु |
|-------|---|----------------------------|------------------|
| १ | पक्की घर RCC ढलान | ३०० | ४०० |
| २ | पक्की घर माटो र ढुङ्गाले बनेको तर प्लाष्टर गरिएको | १५० | २५० |
| ३ | कच्ची घर माटो र ढुङ्गाले बनेको सिलेट/ ढुङ्गाले छायाको | १०० | १५० |
| ४ | कच्ची घर माटो र ढुङ्गाले बनेको जस्ता पाताको छाना भएको | ५० | १०० |
| ५ | कच्ची घर माटो र ढुङ्गाले बनेको खरको छाना भएको | ५० | १०० |

अनुसूची - २

(ऐनको दफा ३ सँग सम्बन्धित)

भूमिकर (मालपोत कर) करको दर

| क्र.स | विवरण | खेत तर्फ रु. | | | | पाखो तर्फ रु. | | | |
|-------|-------------------------|--------------|------|------|-------|---------------|------|------|-------|
| | | अब्बल | दोयम | सिम | चाहार | अब्बल | दोयम | सिम | चाहार |
| १ | २ रोपनी सम्म | ५० | ४५ | ३५ | २५ | ४५ | ३५ | २५ | २० |
| २ | २ देखि ५ रोपनी | ७० | ६५ | ६० | ५५ | ६५ | ६० | ५५ | ५० |
| ३ | ५ देखि १० रोपनी | १२० | ११५ | ११० | १०० | ११० | १०५ | १०० | ९५ |
| ४ | १० देखि २० रोपनी | २५० | २४० | २३० | २२० | २४० | २३० | २२० | २१० |
| ५ | २० देखि ५० रोपनी | ६०० | ५८० | ५६० | ५४० | ५५० | ५३० | ५१० | ४९० |
| ६ | ५० देखि १०० रोपनी | १२०० | ११५० | ११०० | १०५० | ११०० | १०५० | ९५० | ९०० |
| ७ | १०० रोपनी माथि जति सुकै | २५०० | २४०० | २३०० | २२०० | २४०० | २३०० | २२०० | २१०० |

अनुसूची -३

(ऐनको दफा ४ सँग सम्बन्धित)

घर जग्गा बहाल कर

| विवरण | आ.व. २०७९/०८० | आ.व. २०८०/०८१ कर |
|----------------------|---------------|------------------|
| घर जग्गा बहाल बापतको | १० प्रतिशत | १० प्रतिशत |

अनुसूची -४

(ऐनको दफा ५ सँग सम्बन्धित)

व्यवसाय कर

१. बैंक वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुको लागि

| क्र.स | व्यवसायको विवरण | दर्ता शुल्क रु. | नवीकरण शुल्क रु. |
|-------|--|-----------------|------------------|
| १ | क वर्गको वित्तीय संस्था वा वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय | १०००० | ५००० |
| २ | ख वर्गको वित्तीय संस्था वा विकास बैंक शाखा कार्यालय | ८००० | ३००० |
| ३ | ग वर्गको वित्तीय संस्था वा फाईनान्स कम्पनीका शाखा कार्यालय | ७००० | ३००० |
| ४ | लघु वित्तीय संस्थाको शाखा कार्यालय | ६००० | २००० |
| ५ | सहकारी बैंकका शाखा कार्यालयहरु | ६००० | २००० |
| | सहकारी संस्थाहरु | | |
| | क. वचत तथा ऋण सहकारी २०० सम्म सदस्य भएमा | २००० | ५०० |
| | ख. वचत तथा ऋण सहकारी ५०० सम्म सदस्य भएमा | ५००० | ५०० |
| | ग. वचत तथा ऋण सहकारी ५०१ देखि १००० सम्म सदस्य भएमा | ७००० | ५०० |
| | घ. वचत तथा ऋण सहकारी १००० भन्दा बढी सदस्य भएमा | ९००० | ५०० |
| | ड. कृषि सहकारी संस्था सबै प्रकारका | २००० | ५०० |
| | च. महिला सहकारी संस्था सबै प्रकारका | २००० | ५०० |
| | छ. बहुउद्देशीय सहकारी संस्था | ५००० | ५०० |
| | ज. अन्य सहकारी संस्था | ३००० | ५०० |
| ६ | विमा कम्पनीका शाखा कार्यालय | ८००० | ५०० |
| ७ | मनी एक्सचेन्ज कम्पनी | २००० | ५०० |
| ८ | रेमिट्यान्स कम्पनी | २००० | ५०० |

२. विशेषज्ञ परामर्श सेवा तथा अन्य व्यवसाय

| क्र.स | व्यवसायको विवरण | रकम रु. (दर्ता शुल्क) | नवीकरण रु. |
|-------|---------------------------------------|-----------------------|------------|
| १ | अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था दर्ता | १५००० | ५००० |
| २ | स्वदेशी गैर सरकारी संस्था दर्ता | ५००० | २००० |
| ३ | बीमा एजेन्ट | १००० | ५०० |
| ४ | अमिन | १००० | ५०० |
| ५ | लेखा परीक्षक शुल्क | १००० | ५०० |
| ६ | कृषि परामर्श सेवा | १००० | ५०० |

| | | | |
|---|-------------|------|-----|
| ७ | कानूनी फर्म | १००० | ५०० |
|---|-------------|------|-----|

३. निर्माण व्यवसाय

| क्र.स | व्यवसायको विवरण | रकम रु. |
|-------|---|---------|
| १ | 'घ' वर्गको निर्माण व्यवसाय ईजाजत पत्र दर्ता | २५००० |
| २ | नविकरण दस्तुर 'घ' वर्गको असोज मसान्त भित्र | ३००० |
| ३ | ईजाजत पत्र नवीकरण गर्न म्याद भित्र नआएमा थप (असोज मसान्त देखि चैत्र मसान्त सम्म) | १५०० |
| ४ | ईजाजत पत्र प्रतिलिपी दस्तुर | १००० |
| ५ | व्यवसाय नामसारी/ व्यवसाय ठाउँसारी | १०००० |

४. कृषि तथा पशुजन्य व्यवसाय

| क्र.स | व्यवसायको विवरण | रकम रु. |
|-------|--|---------|
| १ | कृषि तथा पशु पंक्षी फर्म दर्ता प्रमाण पत्र | ५०० |
| २ | कृषि तथा पशु पंक्षी फर्म नवीकरण | ५०० |
| ३ | व्यावसायिक कृषक समूह दर्ता | ५०० |
| ४ | व्यावसायिक कृषक समूह नवीकरण | ५०० |

५. शिक्षा सेवा निजि क्षेत्रका स्कुल

| क्र.स | व्यवसायको विवरण | रकम रु |
|-------|--|--------|
| १ | निजि विद्यालयलाई धरौटी रकम | |
| | क. आधारभुत तह १-५ का लागि | १५००० |
| | ख. आधारभुत तह ६-८ का लागि | २०००० |
| | ग. माध्यामिक तह ९-१० का लागि | २५००० |
| | घ. माध्यामिक तह ११-१२ का लागि | ३०००० |
| २ | शैक्षिक संस्था कक्षा थप अनुमति | |
| | क. निजि विद्यालय प्रति कक्षा संख्या थप | ३००० |
| | ख. सामुदायिक विद्यालय प्रतिकक्षा थप अनुमती | १००० |
| ३ | निजि विद्यालय नविकरण शुल्क | |
| | क. १-५ सम्मको विद्यालय भएमा | २००० |
| | ख. १-८ सम्मको विद्यालय भएमा | ३००० |
| | ग. १-१२ सम्मको विद्यालय भएमा | ५००० |

नोट: प्रत्येक आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्ममा नविकरण नगर्ने निजि विद्यालयलाई ५०% थप जरिवाना लाग्ने छ।

६. माथि उल्लेखित बाहेकका अन्य व्यापार र व्यवसायमा पुँजीगत लगानीका आधारमा तपशिलमा उल्लेखित दरमा कर लगाइनेछ :

| क्र.स | लगानी तथा पुँजीको प्रकार | रकम रु दर्ता शुल्क | नवीकरण शुल्क |
|-------|--|--------------------|--------------|
| १ | रु १ देखि रु ३ लाख सम्म | ५०० | ५०० |
| २ | रु ३ लाख १ रुपैया देखि रु ५ लाख सम्म | ७०० | ५०० |
| ३ | रु ५ लाख १ रुपैया देखि रु १० लाख सम्म | ८०० | ५०० |
| ४ | रु १० लाख १ रुपैया देखि रु २० लाख सम्म | १२०० | १००० |
| ५ | रु २० लाख १ रुपैया देखि रु ३० लाख सम्म | १५०० | १००० |
| ६ | रु ३० लाख १ रुपैया देखि रु ५० लाख सम्म | २००० | १००० |
| ७ | रु ५० लाख १ रुपैया देखि रु १ करोड सम्म | ४००० | १५०० |
| ८ | रु १ करोड भन्दा माथि सबैमा | ६००० | २००० |

७. मदिरा वापतको

| क्र.स. | विवरण | रकम रु |
|--------|-------------------------|--------|
| १ | मदिरा ईजाजत पत्र दर्ता | १००००० |
| २ | मदिरा ईजाजत पत्र नविकरण | १२००० |

८. उद्योग तथा कलकारखानाको हकमा

| क्र.स | लगानी तथा पुँजी | दर्ता शुल्क रु | नवीकरण शुल्क रु |
|--|--|----------------|-----------------|
| १ | रु १० लाख सम्मका उद्योग | १००० | ५०० |
| २ | रु १० लाख १ रुपैया देखि रु ३० लाख सम्म | २००० | ५०० |
| ३ | रु ३० लाख १ रुपैया देखि रु ५० लाख सम्म | ३००० | ५०० |
| ४ | रु ५० लाख १ रुपैया देखि रु १ करोड सम्म | ४००० | ५०० |
| ५ | रु १ करोड माथि सबै | ५००० | १००० |
| महिलाहरुको नाममा दर्ता भएका तथा महिलाहरुद्वारा स्थापित उद्योगमा दर्तामा ५०% छुट गरिनेछ । | | | |

अनुसूची -५

(ऐनको दफा ६ सँग सम्बन्धित)

जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करको दर

| क्र.स | कवाडी कारोबार | रकम रु |
|-------|--|--------|
| १ | वियर वोत्तलको प्रति बोतल रु | ०.२५ |
| २ | मदीरा खाली शिसी ५०० एल माथि | ०.२५ |
| ३ | मदीरा खाली शिसी ५०० एल सम्म | ०.२५ |
| ४ | प्लास्टीक वोत्तल, र भाँडा प्रति केजी | २ |
| ५ | फलाम र अन्य धातु र अन्य वस्तुको प्रति केजि | २ |
| ६ | जस्ता पाता, अन्य टीनको प्रति केजि | २ |
| ७ | कागज प्रति केजि रु | २ |
| ८ | कानूनले निषेध गरेका बाहेक अन्य मृत जीवजन्तुका हाड सिङ छाला प्वाँख प्रतिकेजि रु | २०० |
| ९ | अन्य सबैमा प्रतिकेजि रु | ३ |

अनुसूची -६

(ऐनको दफा ७ सँग सम्बन्धित)

प्राकृतिक स्रोत साधन विक्री

| क्र.स | शीर्षक | रकम रु |
|-------|----------------------------|--------|
| १ | ढुङ्गा, गिटी, बालुवा | |
| | क. टिप्पर प्रति ट्रिप | १००० |
| | ख. मिनि टिप्पर प्रति ट्रिप | ५०० |
| | ग. ट्रक प्रति ट्रिप | ८०० |
| | घ. मिनि ट्रक/ ट्याक्टर | ५०० |
| | ड. भ्यान प्रति ट्रिप | ३०० |
| २ | माटो ढुवानी | ५०० |

नोट: प्राकृतिक स्रोत साधन भन्नाले ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, चट्टान, दहत्तर, बहत्तर एवं नदि खोला खोल्सा वन क्षेत्र वा सार्वजनिक वा निजी जग्गाबाट उत्खनन वा संकलन गरिने बहुमुल्ले पत्थर ऐतिहासिक र संस्कृतिक महत्वका शालिग्राम, शिला र अति मुल्यवान वस्तु, चुनढुङ्गा बाहेकका प्राकृतिक स्रोतलाई सम्झनुपर्छ ।

अनुसूची - ७

(ऐनको दफा ८ सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन कर

| क्र.स | विवरण | आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ रु |
|-------|--------------------------------|-------------------------|
| १ | अटो रिक्सा तथा ईरिक्सा | १००० |
| २ | अटो रिक्सा तथा ई रिक्सा नविकरण | ५०० |

अनुसूची -८

(ऐनको दफा ९ सँग सम्बन्धित)

विज्ञापन कर

| क्र.स | विवरण | आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ प्रति वर्ग फिट रु |
|-------|------------------------------------|--|
| १ | होर्डिङ बोर्ड | ५० |
| २ | भित्ते तथा सटर पेन्टिङ | ३० |
| ३ | रङ्गिन विज्ञापन | २५ |
| ४ | अन्य पोष्ट पम्पलेट | १० |
| ५ | सार्वजनिक स्थानमा प्रचार कार्यक्रम | १००० प्रतिदिन |
| ६ | मेला महोत्सव | २००० मेला अवधिभर |
| ७ | जिप गाडी प्रति | ५०० वार्षिक |
| ८ | स्वागत गेट | २०० प्रति दिन |
| ९ | पसल गेट प्रति पसल | १५० एक हप्ता |
| | | ३०० दुई हप्ता |
| | | १००० एक महिना |

अनुसूची -९

(ऐनको दफा १० सँग सम्बन्धित)

मनोरञ्जन कर

| क्र.स | विवरण | प्रति दिन रु |
|-------|--|--------------|
| १ | मेला महोत्सव | १००० |
| २ | मनोरञ्जन कार्यक्रम खेलकुद लगाएत अन्य कार्यक्रम | १००० |

अनुसूची -१०

(ऐनको दफा ११ सँग सम्बन्धित)

बहाल विटौरी कर

| क्र.स | विवरण | वार्षिक प्रति वर्गमिटर रु |
|-------|---|---------------------------|
| १ | टहरा बनाई सार्वजनिक ठाउँको जग्गाको बहाल कर | १०० |
| २ | टहरा नबनाई सार्वजनिक ठाउँको जग्गाको बहाल कर मुख्य बजार बाहेक | ५० |
| ३ | सार्वजनिक स्थलमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा थुपारेवापत (प्रति दिन) | २० |

अनुसूची -११

(ऐनको दफा १२ सँग सम्बन्धित)

सवारी साधन पार्किङ्ग शुल्क

| क्र.स | विवरण | एक पटकका लागि रु |
|-------|---------------------------------|------------------|
| १ | बस ट्रक आदिमा (एक पटकका लागि) | १०० |
| २ | जिप भ्यान | ५० |
| ३ | मोटरसाईकल | २५ |

नोट : सरकारी सवारी साधनको लागि कुनै पार्किङ्ग शुल्क लाग्ने छैन ।

अनुसूची - १२

(ऐनको दफा १३ सँग सम्बन्धित)

सेवा शुल्क दस्तुर, सिफारिस र प्रमाणित शुल्क

| क्र.स | विवरण | सेवा शुल्क, दस्तुरको दर रेट |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------|
| १ | प्रमाणित शुल्क | |
| | नाता प्रमाणित गर्ने | २०० |
| | जन्म मिति प्रमाणित गर्ने | २०० |
| | विवाहित प्रमाणित | २०० |
| | अविवाहित प्रमाणित | २०० |
| | व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने | २०० |
| | जीवित सँगको नाता प्रमाणित | २०० |
| | हकवाला वा हकदार प्रमाणित | २०० |
| | कागज वा मञ्जुरीनामा प्रमाणित | २०० |
| | जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस प्रमाणित | २०० |
| | संरक्षक प्रमाणित गर्ने | २०० |

| | | |
|---|--|------------------------------|
| | घर पातल प्रमाणित | २०० |
| | घर बाटो प्रमाणित | २०० |
| २ | चारकिल्ला प्रमाणित दस्तुर | |
| | आधारोपनी सम्मको जग्गा | २०० |
| | एक रोपनी सम्मको जग्गा | ४०० |
| | १ देखि ५ रोपनी सम्मको | ५०० |
| | ५ देखि १० रोपनी सम्मको | १००० |
| | १० रोपनी भन्दा माथि जतिपनि | २००० |
| ३ | घर निर्माण नक्सापास दस्तुर | प्रति वर्गफिट रु |
| | ढलान गरी निर्माण गरिने घरलाई | ३ |
| | ढलान नगरी निर्माण गरिने घरलाई | २ |
| | माटोको जडान गरी घर निर्माण गर्नेलाई | ०.५० |
| | नक्सा नामसारी तथा नविकरण वापत प्रत्येक पटकका लागि | रु ५०० |
| | साविक घरमा मर्मत नहुने गरी मर्मत गरे | रु १०० |
| | नक्सा पास सम्बन्धी काम सम्पन्न प्रमाण पत्र | रु ५०० |
| | पास भएको नक्साको प्रतिलिपी | रु ३०० |
| | पुरानो घरको नक्सा पास गर्नुपरेमा | रु ७ प्रति वर्ग फिट |
| ४ | सिफारिस दस्तुर | |
| | नागरिकता सिफारिस | २०० |
| | नागरिकता प्रतिलिपी सिफारिस | २०० |
| | नाबालक परिचयपत्र सिफारिस | २०० |
| | बैबाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस | २०० |
| | नाम थर जन्म मिति एकै हो भन्ने सिफारिस | २०० |
| | नाम थर जन्म मिति संशोधन सिफारिस | २०० |
| | नामसारी सिफारिस | २०० |
| | कित्ताकाट गर्न सिफारिस | ५०० |
| | फर्म दर्ता सिफारिस | ५०० |
| | उद्योग दर्ता सिफारिस | ५०० |
| | जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा प्रतिलिपी सिफारिस | ५०० |
| | जग्गा मोहि, नामसारी, जग्गा दर्ता, रैकर, गुठी आदि सिफारिस | ५०० |
| | आयस्रोत प्रमाणित सिफारिस वार्षिक आएको हिसाबले | वार्षिक हुन आउने रकमको ०.५ % |
| | सम्पत्ति मूल्याङ्कन दस्तुर सिफारिस | कुल मूल्यको ०.५% |
| | कालोपत्रे मोटरबाटो भएको सिफारिस | १००० |
| | अन्य मोटरबाटो भएको सिफारिस | ५०० |
| | धारा/ बिजुली मिटर सिफारिस | २५० |
| | मोही लगत कट्टाको सिफारिस | ५०० |

| | | |
|--|--|-------------|
| | घर जग्गा करको लेखा जोखा सिफारिस | ५०० |
| | बहाल करको लेखा जोखा सिफारिस | ५०० |
| | समुह दर्ता | ५०० |
| | तमसुक लिखत वापत | ५०० |
| | छात्रवृत्ति सिफारिस (विपन्नलाई निशुल्क) | २०० |
| | संस्था दर्ता सिफारिस | ५०० |
| | स्थायी/ अस्थायी बसोबास सिफारिस | २०० |
| | बैंक खाता सञ्चालन सिफारिस | ५०० |
| | बैंक खाता बन्द सिफारिस | २०० |
| | अन्य सिफारिस | ५०० |
| ५ | शिक्षा सम्बन्धी सिफारिस | |
| | कक्षा ८ को मार्कसिट प्रतिलिपी | ५०० |
| | शिक्षक सरुवा सहमति/ अनुमती (मा.वि, नि.मा.वि र प्रा.वि) सहमती लिएर जानेलाई | १५००० |
| | विद्यालय खोल्न ठाउँसारी सिफारिस | ५०० |
| | निजि कलेज सिफारिस | २०००० |
| ६ | आयात/निर्यातमा निकासी प्रति चौपाया सिफारिस | |
| | भैसी राँगा | रु २० प्रति |
| | गाई गोरु | रु १० प्रति |
| | बाख्रा/ खसी/ बोका/ भेडा | रु १० प्रति |
| | कुखुरा र हाँस | रु १ प्रति |
| ७ | योजना सम्झौता सिफारिस | |
| | वडा र पालिका स्तरिय योजना | रु ५०० |
| | अन्य बाह्य योजनाका लागि | रु १००० |
| ८ | योजना फरफारक सिफारिस | |
| | रु ५ लाख सम्मका योजनाका लागि | ०.५०% |
| | रु ५ लाख १ रुपैया देखि १० लाख सम्मका योजनाका लागि | ०.४५% |
| | रु १० लाख १ रुपैया देखि ३० लाख सम्मको योजनामा | ०.४०% |
| | रु ३० लाख १ रुपैया देखि १ करोड सम्म | ०.३५% |
| | रु १ करोड भन्दा माथि जति सुकै भए पनि | ०.१०% |
| ९ | गैरसरकारी संस्था | |
| | गैरसरकारी संस्थालाई पालिकाभित्र काम गर्न अनुमति पत्र प्रदान गरेवापत दस्तुर | रु ५००० |
| | गैरसरकारी संस्था सूचिकृत गरेवापत | रु ५०० |
| १० | अन्य दस्तुर तथा सिफारिस: माथि समावेश भएका बाहेक | रु ५०० |
| विपन्नलाई छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता, नि: शुल्क उपचार, दैवि प्रकोप र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्तिमा लागि गरिने मञ्जुरनामा सिफारिस आदिमा सिफारिस दस्तुर छुट दिइनेछ । | | |

अनुसूची -१३

(ऐनको दफा १४ सँग सम्बन्धित)

पर्यटन शुल्क

| क्र.स | विवरण | पर्यटन शुल्क प्रतिदिन रु |
|-------|----------------|--------------------------|
| १ | दृश्यावलोकन | |
| | स्वदेशी नागरिक | २० |
| | विदेशी नागरिक | १०० |
| २ | अध्ययन भ्रमण | |
| | स्वदेशी नागरिक | २० |
| | विदेशी नागरिक | १०० |

नोट: स्वदेशी विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट, अपाङ्ग ज्येष्ठ नागरिक अतिविपन्न व्यक्तिलाई प्रमाण पत्रका आधारमा निःशुल्क हुनेछ ।

अनुसूची -१४

(ऐनको दफा १५ सँग सम्बन्धित)

व्याक हु लोडर , ट्र्याक्टर र हल भाडा दर

| क्र.स | विवरण | भाडा दर रु |
|-------|--|-----------------------------|
| १ | व्याक हु लोडर | कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार |
| | प्रति घण्टा ईन्धन सहित | |
| | प्रति घण्टा ईन्धन बाहेक | |
| २ | ट्र्याक्टर भाडा | |
| | एम्बुलेन्स | |
| ३ | अन्य भाडा | |
| | गाउँपालिकाको हल प्रयोग गरे वापत | १००० प्रति दिन |
| | गाउँपालिकाको प्रोजेक्टर प्रयोग गरेवापत | ५०० प्रति दिन |

आज्ञाले

दिलिप कुमार तामाङ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत